छत्तीसगढ़ शासन
वित विभाग
कार्यालय संचालक
संचालनालय,संस्थागत वित
ब्लाक–1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन
नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ 492002
दूरभाष/Ph No.: 0771–2510840

www.cgdif.nic.in

Govt of Chhattisgarh
Finance Department
Office of the Director
Directorate of Institutional Finance
Block-1, 4th Floor, Indrawati
Bhawan,Nava Raipur, Atal Nagar
Chhattisgarh-492002
ई–मेल/Email : dif.cg@gov.in

क्रमांक 1182 /संसंवि/e-BG/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/07/2025

प्रति,

Executive Director
National E-Governmance Services Ltd. (NeSL)
#003A, Ground Floor, The Estate, 121,
Deckenson Road. Ebngaluru - 560042

विषय :– Implementation of Electronic Bank Gaurantee(e-BG) in the State of Chhattisgarh

संदर्भ :– National E-Governmance Services Ltd. (NeSL) का ई–मेल दिनांक 12.09.2023

—0—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 1178/678/2022/स्था/चार, दिनांक 25.10.2023 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में Electronic Bank Gaurantee को पायलेट फेज में NeSL द्वारा लागू किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।

2/ उक्त के संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4971/डी.77/21–अ /प्रारू./छ.ग./25, दिनांक 23.06.2025 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

शीतल शाश्वत

(शीतल शाश्वत वर्मा)
संचालक

पृष्ठां. क्र. 1183/संसंवि/e-BG/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/07/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

सही/–
संचालक

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
—0—

क्रमांक 1178/679/2022/स्था./चार. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/10/2023
प्रति,

संचालक,
संस्थागत वित्त,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- Implementation of Electronic Bank Gaurantees in the State of Chhattisgarh.(e-stamping).
सदर्भ :- आपका एकल नस्ती कमांक 13/DIF/2023, दिनांक 25.09.2023.
—0—

विषयांतर्गत संचालनालय के प्रस्ताव अनुसार E- Bank Gaurantee प्रणाली को पायलेट फेज में NeSL द्वारा लागू किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

25/10/2023
(शांता खरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

ADIF/DBO(SS)
Original received on 27.10.23
31.10.23

To,
1) NeSL.
2) Markfed
31/10/2023

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 जून 2025 — आषाढ़ 2, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जून 2025

क्रमांक 4971/डी. 77/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 03-06-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 19 सन् 2025)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2025

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।
   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम, 1899 का 2) का संशोधन

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए।

अनुसूची 1—क का संशोधन

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1—क में, —
   अनुच्छेद 13 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"13(क) बैंक प्रत्याभूति . किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभू करने के लिए प्रतिभूत के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख.	अधिकतम पच्चीस हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए, रकम का 0.25 प्रतिशत."

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जून 2025

क्रमांक 4971/डी. 77/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 19 of 2025)
THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2025

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule 1-A.

3. In Schedule I-A of the Principal Act-

After Article 13, the following Article shall inserted, namely:-

"**13A. Bank Guarantee.** Guarantee deed executed by a bank as surety to secure the due performance of a contractual obligations or liabilities.	0.25 percent of the amount, subject to a maximum of twenty-five thousand rupees."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.